राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/19	हेमराज / रामगोपाल 585/2019	

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया, पत्रावली, प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का बगोर अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि वह भूमि वादग्रस्त का रेकार्डेड काबिज, खातेदार कास्तकार है। रेस्पोडेट 1 व 2 के द्वारा ही भूमि वादग्रस्त अपीलार्थी को जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र विक्रय की गई है तथा विक्रय के पश्चात् से ही वह भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। रेस्पोडेन्ट ने महज परेशान करने की नियत से उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउन्टर क्लेम विचारण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.03.2019 को ही प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि निरन्तर बढ़ायी जा रही है। जिसके कारण वह अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि भूमि वादग्रस्त शामलाती कृषि भूमि है। जिसका विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। अपीलार्थी भूमि वादग्रस्त के विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करना चाहता है। विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने शामलाती भूमि होने के कारण ही अपीलार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनवाई पश्चात यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट भूमि वादग्रस्त का रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। भूमि वादग्रस्त रेस्पोडेन्ट द्वारा ही अपीलार्थी को विक्रय कर कब्जा सम्भलाया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में अपना जवाब मय काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क) का उल्लघंन कर निरन्तर बढ़ायी जा रही है। इस प्रकार विधिक प्रावधानों का उल्लघंन कर प्रार्थना पत्र की अवधि को निरन्तर बढ़ाया जाना न्याय संगत नही है। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रस्तुत तथ्यों से प्रथमदृष्टया सन्तुष्ट होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण में अब इस स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली फेसल होकर दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर